जनवरी, 2016

हिमाचल शूरवीर हितैषी

ग्राम : राज सैनिक

निदेशक :
सैनिक कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पिन–177001

हिमाचल शूरवीर हितैषी

हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण विभाग की

त्रैमासिक पत्रिका

Chief Editor & Publishers
Brig.
Suresh Kumar Verma
(Retd.)
Director

सन्देश

हिमाचल शूरवीर हितैषी पूर्व सैनिकों व विधवाओं से संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी आप लोगों तक इस पत्रिका के माध्यम से पहुँचाये। इसके अतिरिक्त मैं हर जिला में सैनिक सम्मेलन करके आप लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भूतपूर्व सैनिकों के और अन्य संस्थाओं व कार्यालयों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। भूतपूर्व सैनिक किसी भी तरह की समस्या निवारण के लिये जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। यदि जरूरत है तो आप मुझसे या निदेशालय से भी सम्पर्क कर सकतें है।

मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अन्य साथियों को भी शूरवीर पत्रिका का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। ताकि विभाग से सम्बन्धित जानकारी अधिक से अधिक लोगो तक पहुँच सकें। सदस्य बनने के लिए फार्म अन्तिम पृष्ठ पर दिया गया है। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विभाग की या भूतपूर्व सैनिकों की बेहतरी के लिए यदि आप के पास सुझाव हो तो आप अपने सुझाव इस निदेशालय को भेजे।

मुझे आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा।

आपका सेवक

ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत
निदेशक, सैनिक कल्याण, हि0 प्र0

विभागीय कार्यकलाप/गतिविधियां

पुनरोजगार :- हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों से भूतपूर्व सैनिकों के पदों की मांग पर जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक हिमाचल प्रदेश,भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों के 175 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को मनोनीत किया गया है।

प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना :- केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अंतगर्त के भूतपूर्व सैनिको के बच्चों को व्यवसायिक कोर्स के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2015 में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अतंगर्त कुल रूप्ये 92,500/– की राशि की छात्रवृति 44 लाभार्थियों को प्रदान की गई।

Ex-Gratia Grant :- युद्व में शहीद हुए सैनिकों व अपंग हुए सैनिकों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रहपूर्वक अनुदान प्रदान की जाती है । वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 38 युद्व में शहीद हुए सैनिकों व अपंग हुए सैनिकों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान रूप्ये 24,02,000/– की राशि प्रदान की गई।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक :- भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र जी की अध्यक्षता में दिंनाक 18 सितम्बर 2015 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में सम्पन्न हुई। सभी सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त 88 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 गैर सरकारी सदस्यों ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में भाग लिया। बैठक में सैनिक कल्याण सम्बन्धित विषय पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया।

सैनिक कल्याण विभाग :- निदेशक सैनिक कल्याण विभाग, ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा,सेवानिवृत ने ऊना, चम्बा, धर्मशाला, मण्डी व मतियाणा में भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन में भाग लिया तथा भूतपूर्व सैनिकों के विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा उनकी समस्याओं व शंका का समाधान किया।

सैनिक विश्राम गृह :- हिमाचल प्रदेश में संचालित सैनिक विश्राम गृहों की मुरम्मत व रख–रखाव के लिए निम्न राशि स्वीकृत हुई तथा शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा। जिसका व्योरा इस प्रकार से हैः–

कम संख्या	सैनिक विश्राम का नाम	स्वीकृत राशि
1.	सुजानपुर	3,74,000.00
2.	धर्मशाला	4,79,150.00
3.	पालमपुर	6,36,360.00
4.	चम्बा	8,19,660.00
5.	कैलांग	3,09,474.00
6.	हमीरपुर	16,37,000.00
7.	नुरपुर	19,62,900.00
8.	कांगड़ा	8,86,900.00
9.	पांवटा साहिब	2,19,100.00
10.	शिमला	43,41,200

युद्ध स्मारक संग्राहालय :- युद्व स्मारक संग्राहालय के निर्माण हेतु मुबलिग 3 करोड़ रूप्ये की राशि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत की गई। तथा इस राशि को युद्व स्मारक संगाहालय बनाने हेतु उपायुक्त कांगड़ा को भेज दिया गया है। युद्वस्मारक संग्राहालय बनाने हेतु रेखाचित्र स्वीकृत हो चुका है तथा शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायेगा।

पैन्शन का संशोधन :- वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत JCOs/Ors पैन्शनर व Family पैन्शनर के पैन्शन का संशोधन की अधिसूचना भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 1(04)/2015(II)-D(Pen/Pol) दिंनाक 03 सितम्बर 2015 व रक्षा लेखा प्रधान नियन्त्रक पैन्शन द्रौपती घाट इलाहाबाद के सरकुलर नम्बर 547 दिंनाक 11 सितम्बर 2015 के अंतर्गत किया गया है। उपरोक्त पत्र साथ में संल्गन किया गया है।

एक रैंक एक पैन्शन :- भारत सरकार रक्षा मंत्रालय दिल्ली के पत्र संख्या : 12(1)/2014/j (पैन्शन / नीती) – भाग–II दिंनाक 07 नवम्बर 2015 के अंतगर्त रक्षा सेना कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पैन्शन (ओआरओपी) के संदर्भ में पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त पत्र साथ में संल्गन किया गया है।

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन)
OFFICE OF THE PR. CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (PENSIONS)
द्रौपदी घाट इलाहाबाद -211014
DRAUPADI GHAT, ALLAHABAD- 211014

Circular No. 547 **Dated:11.09.2015**

To,

1. **The Chief Accountant, RBI, Deptt. Of Govt, Bank Accounts, Central Office C-7, Second Floor, Bandre- Kurla Complex, P B No. 8143, Bandre East Mumbai-400051**
2. **All CMDs, Public Sector Banks.**
3. **The Nodal Officers, ICICI/HDFC/AXIS/IDBI Banks**
4. **All Managers, CPPCs**
5. **Military and Air Attache, Indian Embassy, Kathmandu, Nepal**
6. **The PCDA (WC), Chandigarh**
7. **The CDA (PD), Meerut**
8. **The CDA Chennai**
9. **The Director of Treasury, All States**
10. **The Pay and Accounts Officer, Delhi Administration, R K Puram and Tis Hazari, New Delhi.**
11. **The Pay and Accounts Office, Govt of Maharashtra, Mumbai**
12. **The Post Master Kathua (J&K), Camp Bell Bay.**
13. **The Principal Pay and Accounts Officer Andaman and Nicobar Administration Port Blair.**

Subject:- **Revision of pension in r/o pre-2006 JCOs/ORs pensioners/ Family pensioners**

Reference:-This office circular No. 397 dated 18.11.2008 and last amendment made vide this office Circular No. 452 dated 21.02.2011, No. 453 dated 22.02.2011 and Circular No. 501 dated 17.01.2013.

****

Copy of MOD letter No. 1(04)/2015/(1)-D(Pen/Pol) dated 3rd September, 2015 on the above subject is forwarded herewith for further necessary action at your end.

2. As per provision contained in Para 5 of Ministry's letter No 17(4)/2008(1)/D(Pen/Pol) dated 11.11.2008 as amended therein, wef 01.01.2006 revised pension and revised ordinary family pension of all pre-2006 Armed Force pensioners/family pensioners determine in terms of fitment formula laid down in Para 4.1 of above said letter dated 11.11.2008, shall in no case be lower than fifty percent and thirty percent respectively, of the **minimum of the pay in pay band** plus the Grade pay corresponding to the pre-revised scale from which the pensioner had retired / discharged/ invalided out/ died including Military Service Pay and 'X' Group Pay, where applicable.

3. After issue of GOI, Ministry of Personnel, PG & Pensioners, Department of Pension & Pensioners' Welfare letter No. 38/37/08-P & PW (A) dated 30.07.2015, it has been decided that with effect from 01.01.2006 pension/family pension of Pre-2006 JCOs/ORs pensioners/Family pensioners shall be determined as fifty and thirty percent respectively of the **minimum of the fitment table for the Rank in the revised Pay Band** as indicated under fitment tables annexed with 1/S/2008 as amended and equivalent instructions for Navy and Air Force, plus Grade Pay corresponding to the pre-revised scale from which the pensioner had retired/discharged/invalided out/died including Military Service Pay and X group pay.

4. However, in case, the consolidated pension/family pension calculated as per Para 4.1 of this Ministry's letter No. 17(4)/2008(1)/D(Pen/Pol) dated 11.11.2008 is higher than the pension/family pension calculated in the manner indicated above, the same (higher consolidated pension/family pension) will be continued to be treated as basic pension/family pension. However, where revised pension in terms of GOI, MOD letter No. PC 10(1)/2009-D (Pen/Pol) dated 08.03.2010 and No. 1(13)/2012/D(Pen/Policy) dated 17.01.2013 is higher than the rates indicated in annexure attached with this letter, the same will be continued to be treated as basic pension/family pension from 1.07.2009 and 24.09.2012 respectively.

5. Accordingly,revised tables indicating minimum guaranteed pension/ Ordinary Family Pension has been annexed as-

Annexure-A for Army pensioners
Annexure-B for Air Force pensioners
Annexure-C for Navy pensioners

Pension Disbursing Authorities are hereby authorized to step up the pension/family pension of the affected Pre-2006 pensioners where the existing pension being paid to the pensioners in terms of Ministry's above letter dated 11/11/2008 as amended, is less than the rate of pension indicated in above said annexure.

6. All other terms and conditions shall remain unchanged.

7. The provisions of this letter shall take effect from 01.01.2006 and arrears, if any, shall be allowed from 01.01.2006 up to the date where revised pension/family pension in terms of GOI, MOD letter No. PC 10(1)/2009-D (Pen/Pol) dated 08.03.2010 and No. 1(13)/2012/D (Pen/Policy) dated 17.01.2013 is lower.

8. This circular has been uploaded on this office website pcdapension.nic.in for dissemination across the Defence pensioners and PDAs.

No. Gts/Tech/0167/XXI
Dated: 11.09.2015

(G.K.Baranwal)
Deputy.Controller(Pensions)

No 1(04)/2015(II)-D(Pen/Pol)
Government of India
Ministry of Defence
D(Pension/Policy)

New Delhi, Dated: 3rd September, 2015

To
The Chief of Army Staff
The Chief of Naval Staff
The Chief of Air Staff

Subject: - Revision of pension in r/o of Pre-2006 JCOs/ORs Pensioners/family pensioners.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter No. 17(4)/2008(1)/D (Pen/Pol) dated 11.11.2008 as amended, issued for implementation of government decision on the recommendations of the Sixth CPC for revision of pension/family pension in respect of Pre-2006 Armed Forces pensioners/family pensioners. As per previsions contained in Para 5 therein, with effect from 01.01.2006, revised pension and revised ordinary family pension of all Pre-2006 Armed Forces pensioners/family pensioners determined in terms of fitment formula laid down in Para 4.1 above said letter dated 11.11.2008, shall in no case be lower than fifty percent and thirty percent respectively, of the minimum of the Pay in Pay Band plus the Grade Pay corresponding to the pre-revised scale from which the pensioner had retired/ discharged/invalided out/died including Military Service Pay and "X" group pay where applicable.

2. Now, after issue of GOI, Ministry of Personnel, PG & Pensioners, Department of Pension & Pensioners' Welfare OM No. 38/37/08-P & PW (A) dated 30.07.2015, it has been decided that with effect from 01.01.2006 pension/family pension of Pre-2006 JCOs/ORs Pensioners/family pensioners shall be determined as fifty and thirty percent respectively of the minimum of the fitment table for the Rank in the revised Pay Band as indicated under fitment tables annexed with 1/S/2008 as amended and equivalent instructions for Navy and Air Force, plus Grade Pay corresponding to the pre-revised scale from which the pensioner had retired/discharged/invalided out/died including Military Service Pay and X group pay.

3. However, in case, the consolidated pension/family pension calculated as per Para 4.1 of this Ministry's letter No. 17(4)/2008(1)/D(Pen/Pol) dated 11.11.2008 is higher than the pension/family pension calculated in the manner indicated above, the same (higher consolidated pension/family pension) will continue to be treated as basic pension/ family pension. However, where revised pension in terms of GOI, MOD letter No.PC-*10(1)/2009-D* (Pen/Pol) dated 08.03.2010 and No. 1(13)/2012/D(Pen/Policy) dated 17.01.2013 is higher than the rate indicated in annexure attached with this letter then the same will continue to be treated as basic pension/family pension from 1.07.2009 and 24.09.2012 respectively.

4. Accordingly, revised tables indicating minimum guaranteed pension/ Ordinary Family Pension has been annexed as annexure-A (Army pensioners), Annexure -B (Air Force pensioners), and Annexure-C (Navy pensioners) to this letter. Pension Disbursing Authorities are hereby authorized to step up the pension/family pension of the affected pre-2006 pensioners where the existing pension being paid to the pensioners in terms of this Ministry's above letter dated *11.11.2008* as amended, is less than the rate of pension indicated in above said annexure. Necessary implementation instructions to all concerned shall be issued by Principal CDA (Pensions), Allahabad on receipt of these orders.

5. All other terms and conditions shall remain unchanged.

6. The provisions of this letter shall take effect from 01.01.2006 and arrears, if any, shall be allowed from 01.01.2006 up to the date where revised pension/family pension in terms of GOI, MOD letter No. PC 10(1)/2009-D (Pen/Pol) dated 08.03.2010 and No. *1(13)/2012/D* (Pen/Pol) dated 17.01.2013 is paid.

7. This issues with concurrence of Finance Division of this Ministry vide their ID No. 22(5)/2015/Fin/Pen dated 25.08.2015 and Ministry of Finance, Department of expenditure vide their ID No. 1(12)/EV/2015 dated 2.9.2015.

8. Hindi version will follow.

Yours faithfully

(R. K. Arora)
Under Secretary to the Government of India

Copy to:

As per standard distribution list

Annexure- A (Army)

Table No. 1: Rate of Service Pension in respect of Pre 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Army) w.e.f. 01.01.2006

Rank → Group Hold	sepoy			Naik			Havildar			Naib Subedar			Subedar			Subedar Major			Hony Lt.	Hony Cpt.
PRE-1973	"A"	B TO F and Gunner GD	G, H	"A"	B TO F and Gunner GD	G, H	"A"	B TO F and Gunner GD	G, H	"A"	B TO F and Gunner GD	G, H	"A"	B TO F and Gunner GD	G, H	"A"	B TO F and Gunner GD	G, H		
POST-1973	"A"	B TO D	E	"A"	B TO D	E	"A"	B TO D	E	"A"	B TO D	E	"A"	B TO D	E	"A"	B TO D	E		
POST 10.10.97	"X"	Y	Z	"X"	Y	Z	"X"	Y	Z	"X"	Y	Z	"X"	Y	Z	"X"	Y	Z		
Q.S.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	4637	3883	3743	4637	3883	3743	4637	3883	3743	5558	5049	4813	6231	5722	5479	6573	5867	5782	9373	9785
15.5	4730	3961	3818	4730	3961	3818	4730	3961	3818	5697	5175	4933	6387	5865	5616	6738	6014	5927	9608	10030
16	4822	4038	3893	4822	4038	3893	4822	4038	3893	5836	5301	5053	6542	6008	5753	6902	6160	6071	9842	10275
16.5	4915	4116	3967	4915	4116	3967	4915	4116	3967	5975	5428	5174	6698	6151	5890	7066	6307	6216	10076	10519
17	5008	4194	4042	5008	4194	4042	5008	4194	4042	6114	5554	5294	6854	6294	6027	7230	6454	6360	10310	10764
17.5	5100	4271	4117	5100	4271	4117	5100	4271	4117	6253	5680	5414	7010	6437	6164	7395	6600	6505	10545	11008
18	5193	4349	4192	5193	4350	4192	5193	4350	4192	6392	5806	5534	7165	6580	6301	7559	6747	6650	10779	11253
18.5	5286	4427	4267	5286	4433	4267	5286	4433	4267	6531	5932	5655	7321	6723	6438	7723	6894	6794	11013	11498
19	5379	4504	4342	5379	4517	4342	5379	4517	4342	6670	6059	5775	7477	6866	6575	7888	7040	6939	11248	11742
19.5	5471	4582	4417	5471	4600	4417	5471	4600	4417	6809	6185	5895	7633	7009	6712	8052	7187	7083	11482	11987
20	5564	4660	4491	5564	4684	4491	5564	4684	4491	6947	6311	6016	7788	7152	6849	8216	7334	7228	11716	12232
20.5	5564	4660	4491	5564	4768	4517	5590	4768	4517	7086	6437	6136	7944	7295	6986	8381	7480	7372	11951	12476
21	5564	4660	4491	5647	4851	4597	5695	4851	4597	7225	6564	6256	8100	7438	7123	8545	7627	7517	12185	12721
21.5	5564	4660	4491	5744	4935	4676	5800	4935	4676	7364	6690	6377	8256	7581	7260	8709	7774	7661	12419	12965
22	5564	4660	4491	5841	5019	4755	5906	5019	4755	7503	6816	6497	8411	7724	7397	8874	7920	7806	12654	13210
22.5	5564	4660	4491	5841	5019	4755	6011	5027	4772	7642	6942	6617	8567	7867	7534	9038	8067	7950	12888	13455
23	5564	4660	4491	5841	5019	4755	6117	5115	4856	7781	7068	6737	8723	8010	7671	9202	8214	8095	13122	13699
23.5	5564	4660	4491	5841	5019	4755	6222	5203	4940	7920	7195	6858	8879	8153	7808	9367	8360	8240	13357	13944
24	5564	4660	4491	5841	5019	4755	6328	5291	5023	8059	7321	6978	9034	8296	7945	9531	8507	8384	13591	14189
24.5	5564	4660	4491	5841	5019	4755	6328	5291	5023	8198	7447	7098	9190	8439	8082	9695	8654	8529	13825	14433
25	5564	4660	4491	5841	5019	4755	6328	5291	5023	8337	7573	7219	9346	8582	8219	9860	8800	8673	14060	14678
25.5	5657	4737	4566	5939	5102	4834	6433	5380	5151	8476	7699	7339	9502	8725	8356	10024	8947	8818	14294	14922
26	5750	4815	4641	6036	5186	4914	6539	5468	5191	8615	7826	7459	9657	8868	8493	10188	9094	8962	14528	15167
26.5	5842	4893	4716	6133	5270	4993	6644	5556	5274	8754	7952	7580	9813	9011	8630	10353	9240	9107	14763	15412
27	5935	4970	4791	6231	5353	5072	6750	5644	5358	8893	8078	7700	9969	9154	8767	10517	9387	9251	14997	15656
27.5	6028	5048	4866	6328	5437	5151	6855	5732	5442	9032	8204	7820	10125	9297	8904	10681	9534	9396	15231	15901
28 & above	6120	5125	4940	6425	5520	5230	6960	5820	5525	9170	8330	7940	10280	9440	9040	10845	9680	9540	15465	16145

Table No. 2: Rate of Family Pension in respect of Pre 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Army) w.e.f. 01.01.2006

NR	3672	3500	3500	3855	3500	3500	4176	3500	3500	5502	4998	4764	6168	5664	5424	6507	5808	5724	9279	9687

Annexure- B (Air Force)

Table No. 1: Rate of Service Pension in respect of Pre 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Air Force) w.e.f. 01.01.2006

Rank → Group Hold	AC			LAC			CPL			Sergent			Sergent (DIP)	JWO			WO			MWO			Hony Fg. Officers	Hony Flt. Lt.
PRE-1973	I	II, III, IV	V	I	II, III, IV	V	I	II, III, IV	V	I	II, III, IV	V		I	II, III, IV	V	I	II, III, IV	V	I	II, III, IV	V		
POST -1973	I	II, III	IV	I	II, III	IV	I	II, III	IV	I	II, III	IV		I	II, III	IV	I	II, III	IV	I	II, III	IV		
POST 10.10.97	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"Y"	"Z"		
Q.S.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2021	22	23	24
15	4716	3883	3743	4883	4186	3811	4883	4186	3811	4883	4186	3841	4932	5558	5049	4813	6231	5722	5479	6658	5867	5782	9373	9785
15.5	4811	3961	3818	4981	4270	3887	4981	4270	3887	4981	4270	3932	5050	5697	5175	4933	6387	5865	5616	6825	6014	5927	9608	10030
16	4905	4038	3893	5078	4354	3964	5078	4354	3964	5078	4354	4024	5167	5836	5301	5053	6542	6008	5753	6991	6160	6071	9842	10275
16.5	4999	4116	3967	5176	4437	4040	5176	4437	4040	5176	4437	4115	5285	5975	5428	5174	6698	6151	5890	7157	6307	6216	10076	10519
17	5094	4194	4042	5274	4521	4116	5274	4521	4116	5274	4521	4207	5402	6114	5554	5294	6854	6294	6027	7324	6454	6360	10310	10764
17.5	5188	4271	4117	5371	4605	4192	5371	4605	4192	5371	4605	4298	5519	6253	5680	5414	7010	6437	6164	7490	6600	6505	10545	11008
18	5282	4349	4192	5469	4688	4268	5469	4688	4268	5469	4688	4390	5637	6392	5806	5534	7165	6580	6301	7657	6747	6650	10779	11253
18.5	5377	4427	4267	5567	4772	4345	5567	4775	4345	5567	4775	4481	5754	6531	5932	5655	7321	6723	6438	7823	6894	6794	11013	11498
19	5471	4504	4342	5664	4856	4421	5664	4865	4421	5664	4865	4572	5872	6670	6059	5775	7477	6866	6575	7990	7040	6939	11248	11742
19.5	5565	4582	4417	5762	4940	4497	5762	4955	4497	5762	4961	4664	5989	6809	6185	5895	7633	7009	6712	8156	7187	7083	11482	11987
20	5660	4660	4491	5860	5023	4573	5860	5045	4573	5866	5059	4755	6107	6947	6311	6016	7788	7152	6849	8322	7334	7228	11716	12232
20.5	5660	4660	4491	5860	5023	4573	5860	5135	4599	5979	5156	4847	6224	7086	6437	6136	7944	7295	6986	8489	7480	7372	11951	12476
21	5660	4660	4491	5860	5023	4573	5941	5225	4680	6092	5253	4938	6341	7225	6564	6256	8100	7438	7123	8655	7627	7517	12185	12721
21.5	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6044	5315	4761	6205	5350	5030	6459	7364	6690	6377	8256	7581	7260	8822	7774	7661	12419	12965
22	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6317	5448	5121	6576	7503	6816	6497	8411	7724	7397	8988	7920	7806	12654	13210
22.5	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6430	5545	5213	6694	7642	6942	6617	8567	7867	7534	9155	8067	7950	12888	13455
23	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6543	5642	5304	6811	7781	7068	6737	8723	8010	7671	9321	8214	8095	13122	13699
23.5	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6656	5740	5395	6929	7920	7195	6858	8879	8153	7808	9488	8360	8240	13357	13944
24	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6769	5837	5487	7046	8059	7321	6978	9034	8296	7945	9654	8507	8384	13591	14189
24.5	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6769	5837	5487	7046	8198	7447	7098	9190	8439	8082	9820	8654	8529	13825	14433
25	5660	4660	4491	5860	5023	4573	6146	5405	4841	6769	5837	5487	7046	8337	7573	7219	9346	8582	8219	9987	8800	8673	14060	14678
25.5	5754	4737	4566	5957	5107	4649	6248	5495	5151	6881	5934	5578	7163	8476	7699	7339	9502	8725	8356	10153	8947	8818	14294	14922
26	5848	4815	4641	6055	5191	4726	6351	5585	5003	6994	6031	5670	7281	8615	7826	7459	9657	8868	8493	10320	9094	8962	14528	15167
26.5	5943	4893	4716	6153	5274	4802	6453	5675	5083	7107	6129	5761	7398	8754	7952	7580	9813	9011	8630	10486	9240	9107	14763	15412
27	6037	4970	4791	6250	5358	4878	6556	5765	5164	7220	6226	5853	7516	8893	8078	7700	9969	9154	8767	10653	9387	9251	14997	15656
27.5	6131	5048	4866	6348	5442	4954	6658	5855	5245	7333	6323	5944	7633	9032	8204	7820	10125	9297	8904	10819	9534	9396	15231	15901
28 & above	6225	5125	4940	6445	5525	5030	6760	5945	5325	7445	6420	6035	7750	9170	8330	7940	10280	9440	9040	10985	9680	9540	15465	16145

Table No.2: Rate of Family Pension in respect of Pre 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Air Force) w.e.f. 01.01.2006

NR	3735	3500	3500	3867	3500	3500	4056	3567	3500	4467	3852	3621	4650	5502	4998	4764	6168	5664	5424	6591	5808	5724	9279	9687

Annexure- C (Navy)

Table No. 1: Rate of Service Pension in respect of Pre 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Navy) w.e.f. 01.01.2006

Rank → Group Hold	Seaman II		Seaman I		Leading Seaman		Petty Officer		Artificer IV	Artificer III-I	Chief Petty Officer		Chief Art	MCPO II			MCPO I			Hony Sub Lt.	Hony Lt.
PRE-1996	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"	"A"	"A"	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"	"A"	"A"	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"	"A"	OTHER THAN "A" & GROUP "B"	"C"		
POST-1996	"B"	"C"	"B"	"C"	"B"	"C"	"B"	"C"	"A"	"A"	"B"	"C"	"A"	"A"	"B"	"C"	"A"	"B"	"C"		
POST 10.10.97	"Y"	"Z"	"Y"	"Z"	"Y"	"Z"	"Y"	"Z"	"X"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"X"	"Y"	"Z"	"X"	"Y"	"Z"		
Q.S.	2	3	5	8	8	9	11	12	13	13	14	15	16	16	17	18	16	17	18	19	20
15	3883	3743	4186	3811	4186	3811	4186	3811	4668	4949	5049	4813	5685	6231	5722	5479	6658	5867	5782	9373	9785
15.5	3961	3818	4270	3887	4270	3887	4270	3887	4779	5073	5175	4933	5827	6387	5865	5616	6825	6014	5927	9608	10030
16	4038	3893	4354	3964	4354	3964	4354	3964	4890	5196	5301	5053	5970	6542	6008	5753	6991	6160	6071	9842	10275
16.5	4116	3967	4437	4040	4437	4040	4437	4040	5002	5320	5428	5174	6112	6698	6151	5890	7157	6307	6216	10076	10519
17	4194	4042	4521	4116	4521	4116	4521	4123	5113	5444	5554	5294	6254	6854	6294	6027	7324	6454	6360	10310	10764
17.5	4271	4117	4605	4192	4605	4192	4605	4213	5224	5568	5680	5414	6396	7010	6437	6164	7490	6600	6505	10545	11008
18	4349	4192	4688	4268	4688	4268	4688	4302	5335	5691	5806	5534	6538	7165	6580	6301	7657	6747	6650	10779	11253
18.5	4427	4267	4772	4345	4775	4345	4775	4392	5446	5815	5932	5655	6680	7321	6723	6438	7823	6894	6794	11013	11498
19	4504	4342	4856	4421	4865	4421	4865	4482	5557	5939	6059	5775	6822	7477	6866	6575	7990	7040	6939	11248	11742
19.5	4582	4417	4940	4497	4955	4497	4961	4571	5668	6062	6185	5895	6964	7633	7009	6712	8156	7187	7083	11482	11987
20	4660	4491	5023	4573	5045	4573	5059	4661	5780	6186	6311	6016	7107	7788	7152	6849	8322	7334	7228	11716	12232
20.5	4660	4491	5023	4573	5135	4599	5156	4750	5891	6310	6437	6136	7249	7944	7295	6986	8489	7480	7372	11951	12476
21	4660	4491	5023	4573	5225	4680	5253	4840	6002	6434	6564	6256	7391	8100	7438	7123	8655	7627	7517	12185	12721
21.5	4660	4491	5023	4573	5315	4761	5350	4930	6113	6557	6690	6377	7533	8256	7581	7260	8822	7774	7661	12419	12965
22	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5448	5019	6224	6681	6816	6497	7675	8411	7724	7397	8988	7920	7806	12654	13210
22.5	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5545	5109	6335	6805	6942	6617	7817	8567	7867	7534	9155	8067	7950	12888	13455
23	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5642	5199	6446	6928	7068	6737	7959	8723	8010	7671	9321	8214	8095	13122	13699
23.5	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5740	5288	6558	7052	7195	6858	8101	8879	8153	7808	9488	8360	8240	13357	13944
24	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5837	5378	6669	7176	7321	6978	8244	9034	8296	7945	9654	8507	8384	13591	14189
24.5	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5837	5378	6669	7300	7447	7098	8386	9190	8439	8082	9820	8654	8529	13825	14433
25	4660	4491	5023	4573	5405	4841	5837	5378	6669	7423	7573	7219	8528	9346	8582	8219	9987	8800	8673	14060	14678
25.5	4737	4566	5107	4649	5495	4922	5934	5467	6780	7547	7699	7339	8670	9502	8725	8356	10153	8947	8818	14294	14922
26	4815	4641	5191	4726	5585	5003	6031	5557	6891	7671	7826	7459	8812	9657	8868	8493	10320	9094	8962	14528	15167
26.5	4893	4716	5274	4802	5675	5083	6129	5647	7002	7794	7952	7580	8954	9813	9011	8630	10486	9240	9107	14763	15412
27	4970	4791	5358	4878	5765	5164	6226	5736	7113	7918	8078	7700	9096	9969	9154	8767	10653	9387	9251	14997	15656
27.5	5048	4866	5442	4954	5855	5245	6323	5826	7224	8042	8204	7820	9238	10125	9297	8904	10819	9534	9396	15231	15901
28 & above	5125	4940	5525	5030	5945	5325	6420	5915	7335	8165	8330	7940	9380	10280	9440	9040	10985	9680	9540	15465	16145

Table No. 2: Rate of Family Pension in respect of Pre 01.01.2006 discharged Personnel Below Officer Rank (Navy) w.e.f. 01.01.2006

NR	3500	3500	3500	3500	3567	3500	3852	3549	4401	4899	4998	4764	5628	6168	5664	5424	6591	5808	5724	9279	9687

परिशिष्ट–क

12(1)/2014/र(पेंशन/नीति)-भाग-II

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 7 नवम्बर, 2015

सेवा में,

सेनाध्यक्ष,

नौसेनाध्यक्ष,

वायुसेनाध्यक्ष

विषयः रक्षा सेना कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी)।

रक्षा सेना कार्मिकों की शारीरिक स्वस्थता, कार्यक्षमता और प्रभावकारिता बनाए रखने संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नियमों के अनुसार, रक्षा सेना कार्मिक सरकार में अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों की तुलना में कम आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेना में सिपाही और नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंक 17/19 वर्षों के आबंध/सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अफसर 60 वर्ष की आयु अर्थात सरकार में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन अपवादिक सेवा शर्तों पर विचार करते हुए और हमेशा चौकस रक्षा सेनाओं के हित में, भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन लाभों को विगत में तदनुसार निर्धारित किया गया है।

2. अब 01.07.2014 से भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। ओआरओपी का अर्थ एक समान रैंक और समान सेवावधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र सेना कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में न रखते हुए एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना है जिसका अर्थ वर्तमान और भूतपूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन की दरों के बीच के अंतर को आवधिक आधार पर पाटना है।

3. ओआरओपी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

i. पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण कैलेण्डर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तियों की पेंशन के आधार पर किया जाएगा और लाभ 1.7.2014 से प्रभावी होंगे।

ii. सभी पेंशनभोगियों की पेंशन का पुनर्निर्धारण उसी रैंक तथा उसी सेवावधि में 2013 में सेवानिवृत्त कार्मिकों की न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर किया जाएगा।

iii. ऐसे कर्मियों की पेंशन संरक्षित की जाएगी जो औसत से अधिक पेंशन आहरित कर रहे हैं।

iv. बकाया का भुगतान चार समान अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा। तथापि, विशेष/उदारीकृत परिवार पेंशन तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी परिवार पेंशनभोगियों को बकाया का भुगतान एक किश्त में किया जाएगा।

v. भविष्य में प्रत्येक पांच वर्ष बाद पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

4. ऐसे कार्मिक जो सेना नियम, 1954 के नियम 13 (3) 1(i) (ख), 13 (3) 1(iv) अथवा नियम 16ख अथवा समकक्ष नौसेना अथवा वायुसेना नियमों के अंतर्गत स्वयं अपने अनुरोध पर सेवामुक्त होने का विकल्प लेते हैं, वे ओआरओपी के लाभों के हकदार नहीं होंगे। यह भविष्यलक्ष्यी प्रभाव से लागू होगा।

5. सरकार ने ओआरओपी के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों, यदि कोई हो, की जांच के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है। न्यायिक समिति अपनी रिपोर्ट छह महीने में सौंप देगी।

6. पेंशन संवितरण एजेंसियों द्वारा पेंशन को अद्यतन करने और सीधे बकायों का भुगतान करने के लिए प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी हेतु संशोधित पेंशन को दर्शाते हुए तालिकाओं सहित ओआरओपी के कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

7. इसे इस मंत्रालय के उनके दिनांक 07 नवम्बर, 2015 की अ.वि.सं. 10(11)/2012/र.मं.(वित्त/पेंशन) के तहत प्रदत्त वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

के. दयमंती

(के. दयमंती)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

मानक वितरण सूची के अनुसार।

भूतपूर्व सैनिक रोजगार सम्बन्धित आवेदक के पंजीकरण व रोजगार के सम्बंध में।

हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । सेवानिवृति होने वाले सैनिक, रोजगार हेतु अपना पंजीकरण सेवानिवृति से एक साल पहले अपनी क्षेत्रीय रोजगार कार्यलय में पंजीकरण करवा सकते है। अगर रोजगार हेतु पंजीकरण किसी कारणवश इस काल के अंतर्गत नहीं हो सका हो तो वो सेवानिवृति के बाद भी अपना पंजीकरण करवा सकतें है। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पंजीकरण के बाद सभी प्रार्थीयों के कार्ड भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हिमाचल प्रदेश स्थित हमीरपुर को भेजतें है।

सेवानिवृति के बाद पंजीकरण करने की विधि

आवेदक अपनी योग्यता अनुसार अपने रोजगार कार्यालय में तीन अलग–अलग व्यवसायों में नाम पंजीकरण करवा सकता है, इसके लिए उसे अपने सभी सम्बन्धित दस्तावेज पंजीकरण के समय प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकरण करने से पहले भूतपूर्व सैनिकों को अपनी योग्यता के आधार पर सही तरीके से व्यवसाय का चयन करना चाहिए ।

आवेदक को अपना पंजीकरण का नवीनीकरण समय अवधि यानि तीन वर्ष में करवा लेना चाहिए, जिस के लिए उसे अपना X-10 कार्ड अपने रोजगार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रार्थी का पंजीकरण रदद हो जायेगा ।

अगर आवेदक ने पंजीकृत व्यवसायों में से कोई व्यवसाय बदली करना तो भी उसके अपने रोजगार कार्यालय में ही होगा । इसके इलावा अगर उसका पंजीकरण नवीनीकरण न होने की वजह से रदद हो गया हो तो फिर से दोवारा/नया पंजीकरण भी उसी कार्यालय में होगा। व्यवसाय बदली करने पर वरिष्ठता तिथि उसी दिन से मान्य होगी इसलिये पहली बार नाम दर्ज करवाते समय ही सोच समझ कर योग्यता अनुसार व्यवसाय का चयन करें ताकि वरिष्ठता का लाभ भविष्य में न गवाना पडें।

भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष शैक्षणिक एवंम तकनीकी योग्यता प्रार्थी उम्मीदवारों द्वारा चयनित व्यवसायों के आधार पर वरियता सूची के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को रोजगार के लिये सम्बन्धित विभाग में मनोनीत करता है।

वीरता एवम् साहस की मिसाल

(प्रोमिला देवी)

(नायब सूबेदार
जगरूप सिंह)
मरणोपरान्त कीर्ति चक्र से अलंकृत

श्रीमति प्रोमिला देवी सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष की सेवाऐं देने के उपरांत 31 जनवरी, 2016 को सेवानिवृत हुईं। उन्होंने अप्रैल, 2001 में जीवन की बड़ी ही विकट परिस्थितियों में विभाग में पदभार सम्भाला था। उनके पति नायब सुबेदार जगरूप सिंह ने 14 जुलाई, 1998 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरान्त कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया।

श्रीमति प्रोमिला देवी ने बड़े ही साहस और दृढ़ निश्चय की मिसाल पेश करते हुए अपने परिवार के पालन–पोषण का बीड़ा उठाया। वीरता और साहस की परम्पराओं का निर्वहन करते हुए घर से बाहर निकल कर नौकरी करने का निर्णय किया।

विभाग में एक कर्मठ कर्मचारी होने के साथ साथ इन्होंने अपने दोनों बच्चों का उचित पालन पोषण करते हुए शिक्षा दिलाई तथा समाज में एक सफल नागरिक बनाया। इनके हौंसले और दृढ़ निश्चय का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि इन्होंने अपने एक बेटे को वीरता और साहस की परम्पराओं का एक बार फिर से परिचय देते हुए भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनका बेटा उनके पति की ही बटालियन 28 पंजाब रैजीमेंट में सेवारत है।

सैनिक कल्याण विभाग इस वीर नारी के अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और वीरता के लिए शत–शत नमन करते हुए इनके सुखद भविष्य की कामना करता है।

मौजूदा न्याय प्रणाली में महिलाओं के संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं

1. दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। (धारा 304 ख भारतीय दण्ड संहिता)

2. यदि कोई महिला आत्महत्या करती है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिये उससे अभी प्रेरित करता है उसे 10 वर्षों तक कि सजा दी जा सकती है। (धारा 306 भारतीय दण्ड सहिता)

3. जब यह प्रश्न हो कि किसी व्यक्ति द्वारा दहेज के कारण किसी महिला मार दिया गया हो तो वह व्यक्ति दहेज के कारण हुई हत्या का जिम्मेदार होगा। (धारा 113 व भारतीय शाक्षय नियम 1872)

4. किसी प्रकार के दहेज की मांग करने वाले व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (दहेज प्रतिषेद अधिनियम 1961 की धारा 4)

5. महिला को किसी भी माध्यम से अशिष्ट रूप प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को दंण्डित किया जा सकता है। (महिलाओं का अशिष्ट व्यपदेश्न प्रतिषेध अधिनियत, 1966 की धारा 3)

6. जो कोई 18 वर्ष से कम आयु के किसी अप्राप्तवय लड़कों को संभोग के लिए विवश या विलुब्ध करता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (धारा 366 क भारतीय दण्ड संहिता)

7. विवाहित महिला जिसका पति उसकी देख रेख न करता है अथवा पर्याप्त साधन के होते हुए भी उसके भरण पोषण से इन्कार करता हो तो महिला खुद के भरण पोषण के लिए अपने पति से भरण पोषण भता पाने की हकदार होगी। (धारा 125 भारतीय दण्ड संहिता)

8. विवाहित महिला तलाक के मामले के निपटान न होने तक अपने पति से वादकालिन भता तथा तलाक के निर्णय हो जाने के बाद निर्वाह व्यय की हकदार होगी। (धारा 24 हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955)

9. यदि किसी महिला का पति या पति का रिशतेदार उस महिला के साथ कूरता का व्यवहार करते हैं। तो उन्हें 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है । (धारा 498 के भारतीय दण्ड संहिता)

10. जो कोई इस आश्य से कि या यह जानतें हुए कि संभाव्यता है कि तदद्वारा वह किसी स्त्री की लज्जा भंग करें किसी स्त्री पर हमला करता है यह अपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (धारा 354 के भारतीय दण्ड संहिता)

11. जो कोई बलात्संगम करता है तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। किन्तु यदि बलात्संगमकृत स्त्री उसकी अपनी पत्नी है और 12 वर्ष की कम आयु की हो तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (धारा 376 के भारतीय दण्ड संहिता)

12. जो कोई भी पुरूष लोक सेवक होते हुए अपने पद का लाभ अपने नियंन्त्रणाधीन किसी महिला लोक सेवक जो अपने साथ मैथुन के लिए फुसलाता अथवा वहलाता है और वह मैथुन बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (धारा 498 भारतीय दण्ड संहिता)

13. किसी जेल प्रतिप्रेषित गृह या किसी भी विधि के अन्तगर्त स्थापित अन्य अभिरक्षा स्थलों या महिलाओं या बच्चों के संस्थानों के अधीक्षक अथवा प्रबन्धक अपने पद का लाभ उठाकर उस जेल प्रतिपेषित गृह अभिरक्षा स्थल या संस्थान की किसी अन्तः वासी महिला को अपने साथ मैथुन के लिए फुसलाता अथवा वहलाता है और वह मैथुन बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (धारा 376 ग भारतीय दण्ड संहिता)

14. कोई भी जो किसी अस्पताल के प्रबन्ध में हो या कर्मचारी हो अपने पद का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी महिला के साथ मैथुन करता है जो बलात्कार की श्रेणी में न आता हो तो उस 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। (धारा 376 घ भारतीय दण्ड संहिता)

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश
स्थित हमीरपुर –177001

अंशदान फार्म : शूरवीर हितैषी पत्रिका लेने हेतु ।

1. Army No. ______________________________
2. Rank ______________________________
3. Name ______________________________
4. Mobile No. ______________________________
5. Permanent Home ______________________________
   Address
   (जहां पत्र पत्रिका लेना चाहते हैं) ________________________
   ____
   ____
   Pin Code No. ________________________

6. Subscription Amount ________________________
   (Yearly - Rs. 40/- (in words ________________
   for life - Rs. 500/- ________________________)

7. Mode of payment : Cash/Bank Draft in favour of The Editor, Shurvir Hiteshi Patrika HP at Hamirpur.

____

Place : **(Signature of the Applicant)**

Dated

With best wishes from :-